2-किराया–किश्त केता उक्त सम्पत्ति किरायेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तो के अधीन 25 त्रैमासिक की एक नियत अवधि तक ग्रहीत करेगा जो वर्ष दो हजार तेहर के सितम्बर–13 मास के प्रथम दिनांक से प्रारम्भ होगी और वर्ष 2019 के अगस्त मास के अन्तिम दिनांक को समाप्त होगीः–

(क) किराया–किश्त–केता **रू० 44,25,968.00 (रू० चौवालिस लाख पच्चीस हजार नौ सौ अड्सठ मात्र)** की मासिक किश्त मांग की प्रतीक्षा किए बिना उसी माह में जिसमें मासिक किश्त देय हो जाय, प्रत्येक माह के प्रथम दिनांक तक स्वामी के कार्यालय में या निर्दिष्ट स्थान पर भुगतान करेगा जिसका ऐसा प्रथम भुगतान इसमें ऊपर उल्लिखित किराया–किश्त केता द्वारा पहले ही कर दिया गया और जिसे माह सितम्बर–13 की प्रथम किश्त के रूप समझा जाय और ऐसा आगामी भुगतान वर्ष–2013 के माह अक्टूबर–13 के अन्तिम दिनांक को या उसके पूर्व प्रत्येक कैलेण्डर मास के तुरन्त बाद किराया–किश्त कय की अवधि तक देय हो जाय या भुगतान योग्य हो जाय।

(ख) किराया–किश्त केा आवंटन की योजना में यथा निर्धारित नगरपालिका के या अन्य प्रकार के सभी करों , फीस , प्रभार निर्धारित कर ऐसे अन्य उदग्रहण की धनराशि का, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो , जो स्थानीय निकाय द्वारा या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरण द्वारा उसके सम्बन्ध में भू– स्वामी या किरायेदार को एतद्द्वारा किराये पर दी गयी उक्त सम्पत्ति पर लगाई गयी हो, प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध प्राधिकारियों को भुगतान करेगा । किराया–केता– स्वामी को सम्पत्ति कर, जल प्रभार, सीवर ब्यवस्था के प्रभार का , जैसा कि स्वामी द्वारा समय–समय पर उदग्रहीत किया जाय, भुगतान करेगा ।

परन्तु किराया–किश्त केता की ओर से ऐसा भुगतान न किये जाने की दशा में स्वाामी का ऐसी देय धनराशि को भू–राजस्व के बकाये के रूप में या ऐसी अन्य रीति से जो विधि संगत हो, वसूल करने और उसे किश्त के बकाये के रूप में मानने की शक्ति होगी ।

(ग) किराया–किश्त केता सम्पत्ति के साथ–साथ सम्भरण,जल निस्तारण,बिजली और किन्हीं ऐसी अन्य सेवाओं से सम्बन्धित उसके प्रतिष्ठानों की मरम्मत (जिसे पद के अन्तर्गत सामान्य,और आवश्यक वार्षिक भीतरी और बाहरी रंगाई और पुताई,सफाई भी)। स्वामी के या ऐसे व्यक्ति के जिसे स्वामी इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करं, समाधानप्रद रूप से स्वयं अपने खर्च पर करायेगा और उसे समुचित रूप से ठीक दशा और स्थिति में रखेगा।

कमशः 8 पर

सहायक आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

आवंटी
For Sanjar Builders And Constructions Pvt.Ltd

Director